



Neutral Citation No. - 2026:AHC:179697

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 30081 वर्ष 2026

सोमू खान उर्फ औसाफ़

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : अनुराग कुमार पांडे

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 78

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया गया।

2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 1146 सन् 2025, धारा 191(2), 191(3), 190, 124(2), 121, 125, 352, 351(3), 109, 299, 223, 61(2) बी.एन.एस. तथा धारा 7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, थाना बारादरी, जनपद बरेली में विचारण लंबित रहने के दौरान उसे जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस निरीक्षक, अर्थात् धनजय पांडे द्वारा 28 नामित तथा 250 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध इस आरोप के साथ दर्ज कराई गई कि सभी अभियुक्त व्यक्तियों ने पुलिस दल पर पत्थर तथा तेजाब से भरी कांच की बोतलें फेंकीं और उनमें से कुछ ने पुलिस दल पर गोलीबारी भी की। आगे प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं था,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



बल्कि सह-अभियुक्त अनीस सकलैनी के संस्वीकृति कथन के आधार पर उसका नाम प्रकाश में आया। आगे प्रस्तुत किया गया कि सह-अभियुक्तगण, अर्थात् मोबिन, इकबाल एवं इदरीश, नदीम, मोइन सिद्दीकी, फैजल नवी उर्फ फैजुल नवी, फरहान रजा खान, मोहम्मद आजम, कलीम खान तथा अनीस सकलैनी को इस न्यायालय की समन्वय पीठों द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 43266 सन् 2025, 6498 सन् 2026, 44455 सन् 2025, 480 सन् 2026, 43299 सन् 2025, 42747 सन् 2025, 42738 सन् 2025 तथा 17565 सन् 2026 में क्रमशः दिनांक 10.04.2026, 28.04.2026, 07.07.2026, 19.03.2026, 19.03.2026, 23.03.2026, 28.03.2026 एवं 29.05.2026 को पारित आदेशों द्वारा पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है। जमानत आदेशों की प्रतियां अभिलेख पर हैं तथा वर्तमान आवेदक के आपराधिक इतिहास की व्याख्या की गई है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक का मामला उपर्युक्त सह-अभियुक्त व्यक्तियों के समान स्थिति में है। आवेदक दिनांक 21.04.2026 से जेल में निरुद्ध है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि विचारण लंबित रहने के दौरान यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया।

5. पक्षकारों की दलीलों पर विचार करने के पश्चात तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

6. आवेदक-सोमू खान उर्फ औसफ, जो उपर्युक्त मामले में सम्मिलित है, को विचारण लंबित रहने के दौरान संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदक जांच अथवा विचारण के दौरान गवाहों को धमकाकर/उन पर दबाव डालकर अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए ईमानदारीपूर्वक विचारण में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा अथवा कोई अपराध नहीं करेगा।

7. उपर्युक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।

8. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा)

25 अगस्त, 2026 / टी.एस.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।